संख्या-19/2023/1081/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023

प्रेषक,

लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक, 25 अगस्त, 2023**

विषय-प्रदेश में उद्यम प्रेरक नीतियों के कियान्वयन में आ रही नवीन कठिनाईयों एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विभिन्न उद्यम प्रेरक नीतियाँ प्रचलित हैं, एवं उनमें से कई नीतियों में स्टाम्प छूट के प्रावधान निहित हैं। उक्त छूट प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-4/2023/405/94 स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनाँक 31 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-13/2023/605/94 स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनाँक 3 मई 2023 विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। प्रक्रिया के संचालन के उपरांत कुछ अन्य विशेष तथ्य एवं परिस्थितियाँ भी संज्ञान में आई हैं। उनके निस्तारण हेतु उपरोक्त प्रक्रिया व्यवस्था में कतिपय संशोधन आवश्यक प्रकट हो रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. इस विभाग के शासनादेश संख्या-13/2023/605/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनाँक 3 मई, 2023 के द्वारा जारी दिशा निर्देश संख्या-4/2023/405/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023 दिनाँक 31 मार्च, 2023 में संशोधन करते हुए, यह नियत किया गया है कि विभागों के द्वारा इस विषयक प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश जारी करने की दशा में, नीति प्रख्यापक विभाग के द्वारा स्थापित प्रावधान एवं शासनादेश **31-3-23** के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास होने की दशा में, प्रख्यापक विभाग के प्रावधान प्रभावी होंगे।

2. कतिपय विभागों द्वारा अपने स्तर से निर्धारित प्रक्रिया में शासनादेश **31-3-23** के प्रस्तर - "**3.3- बैंक गारण्टी की अवधि नीति में निर्धारित अवधि से न्यूनतम एक वर्ष अधिक तक की होगी।**" से इतर, छोटे अंतरालों के बैंक गारंटी का प्रावधान किया गया है, एवं यह प्रावधान किया गया है कि उक्त बैंक गारंटी का परियोजना की अवधि के अंदर समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।

3. ऐसे प्रकरणों में यह ध्यान योग्य है कि छूट के साथ निबंधित विलेख, भविष्य में सन्निहित परियोजना के क्रियान्वयन में नीति / योजना एवं आनुषंगिक शर्तों का उल्लंघन होने पर, मात्र नीति/योजना के प्रयोजनार्थ निर्गत छूट अधिसूचना के आच्छादन से बाहर आ जाता है एवं सामान्य रूप से प्रभार्य हो जाता है। इससे जनित स्टाम्प कमी को सुगमता से पूर्ण करने हेतु (एवं जिन प्रकरणों में स्टाम्प वाद योजित करने की विधिक सीमा - निष्पादन से **8** वर्ष - पूर्ण हो चुकी हो, उनमें स्टाम्प कमी पूर्ण करने के एक मात्र उपाय के रूप में) छूट प्रकरण का बैंक गारंटी द्वारा निरन्तर आच्छादन उपरोक्त वित्तीय उपाशय के आलोक में अपरिहार्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपरोक्त विषय मे पत्र संख्या-487/94-स्टा0नि0-2-2023-700(47)/2023, दिनांक 12.04.2023 के द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त कार्यालय से परामर्श किया गया था। उपरोक्त के उत्तर में पत्रांक संख्या-1380/77-6-23-2(एम)/2022 दिनांक 9 मई, 2023 के द्वारा उद्योग विभाग द्वारा यह परामर्श दिया गया कि ससमय बैंक गारण्टी के नवीनीकरण (**Renewal)** की जिम्मेदारी बैंक गारण्टी देने वाले तथा बैंक गारण्टी रखने वाले अधिकारी की होगी**,** एवं उपर्युक्तानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अवधारित मत से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5. अतः ऐसे में नवीनीकरण प्रक्रिया पर प्रख्यापक विभाग के अधिकारी (जिसे **31-3-23** के शासनादेश अनुसार विभाग ने प्रमाणक प्राधिकारी नियुक्त किया हो) द्वारा निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता है**,** जिससे बैंक गारन्टी के आच्छादन की निरंतरता बनी रहे।

6. अतः सम्यक विचारोपरान्त एवं प्राप्त परामर्श के आलोक में ऐसे प्रकरण**,** जिनमे नीति प्रख्यापक विभाग द्वारा परियोजना अवधि से कम की बैंक गारंटी नवीनीकरण व्यवस्था के साथ रखना प्रस्तावित किया गया हो**,** के लिए निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

i. निवेशक / स्टाम्प छूट प्राप्तकर्ता का दायित्व होगा कि परियोजना अवधि के अंतर्गत**,** यदि परियोजना में छूट का प्रयोजन अद्यतन पूर्ण नहीं हुआ है**,** एवं वर्तमान बैंक गारंटी शीघ्र समाप्य हो**,** तो ऐसी समाप्ति से न्यूनतम **15** दिवस पूर्व नई बैंक गारंटी विहित रीति से जारी करवाते हुए उसे प्रख्यापक विभाग के अधिकारी को हस्तगत करें।

ii. उपरोक्त का अनुपालन ना होने पर इसे छूट प्रावधान की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा**,** एवं वर्तमान बैंक गारंटी की समाप्ति में **15** दिवस की सीमा का उल्लंघन होते ही**,** अर्थात वर्तमान बैंक गारंटी समाप्ति से **14** दिन पूर्व**,** प्रख्यापक विभाग के अधिकारी द्वारा**,** बिना किसी नोटिस**,** वर्तमान बैंक गारंटी जब्त कर के भुनवा ली जाएगी।

iii. यदि परियोजना अवधि विलेख के निष्पादन की तिथि से **8** वर्ष से अधिक की हो**,** तो ऐसी दशा में विलेख निष्पादन से **7** वर्ष **10** माह की तिथि से पूर्व**,** शेष परियोजना अवधि से **6** माह अधिक अवधि की बैंक गारंटी ली जाएगी। उपरोक्त तिथि (विलेख निष्पादन से **7** वर्ष **10** माह की अवधि) तक ऐसी नई बैंक गारंटी प्राप्त न होने की दशा में प्रख्यापक विभाग के अधिकारी बिंदु **ii.** के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

iv. चूंकि भविष्य में स्टाम्प छूट के आवदेन ऑनलाइन प्राप्त होंगे**,** अतः महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय के तकनीकी टीम द्वारा उद्योग विभाग की तकनीकी टीम से समन्वय कर के ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे वर्तमान बैंक गारंटी की समाप्ति के **2** माह पूर्व एवं **1** माह पूर्व**,** एवं विलेख निष्पादन की तिथि से **7** वर्ष **6** माह**,** एवं **7** वर्ष **8** माह की अवधि पूर्ण होने पर प्रख्यापक विभाग के अधिकारी एवं छूट प्राप्तकर्ता के लॉगिन / पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भी इस बाबत अलर्ट प्रेषित हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपर्युक्त ऑनलाइन अलर्ट व्यवस्था बनने तक, एवं बनने के बाद भी अनुपूरक रूप से प्रख्यापक विभाग के अधिकारी स्वयं समस्त स्टाम्प छूट प्रकरणों का अनुश्रवण करते रहेंगे, एवं ऐसे निवेशकों, जिनकी बैंक गारंटी में **1** माह की अवधि शेष रह गयी हो अथवा विलेख निष्पादन से **7** वर्ष **6** माह का समय पूर्ण हो गया हो, से सम्पर्क कर के बिंदु **ii** अथवा **iii** (यथावश्यक) से अवगत कराते रहेंगे।

हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक गारंटी को उपर्युक्त समय सीमा से पूर्व नवीनीकृत कराने का प्राथमिक दायित्व छूट प्राप्तकर्ता का है। उपरोक्त अलर्ट / सम्पर्क न होने पर **defaulter** छूट प्राप्तकर्ता बिंदु **ii/iii** के प्रावधान से कोई बचाव नहीं पा सकेंगे।

v. चूंकि प्रकरण में वित्तीय उपाशय निहित है, एवं स्टाम्प विधि द्वारा स्थापित समय सीमाएँ भी निहित हैं, अतः बैंक गारंटी नवीनीकरण का अनुश्रवण एक बहुत ही बड़ा दायित्व है। उक्त के दृष्टिगत प्रख्यापक विभागों को यह सलाह दी जाती है कि सम्बन्धित अधिकारी के कार्यालय में समस्त स्टाम्प छूट प्रकरणों का एक रजिस्टर रखा जाए, जिनमे बैंक गारंटी के नवीनीकरण **due** होने के सम्बंध में लेखा रखा जाए। अधिकारियों के स्थानांतरण की दशा में इस रजिस्टर को चार्ज रिपोर्ट में अवश्य सम्मिलित किया जाए, ताकि प्रतिस्थानी अधिकारी समस्त बैंक गारंटी प्रकरणों की जानकारी पा सके।

यदि प्रख्यापक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी प्रस्तर **ii** एवं **iii** में व्यक्त वसूली कार्रवाई तत्काल नहीं करेंगे, तो छूट शर्त की अवहेलना के दृष्टिगत छूट प्राप्तकर्ता के विरुद्ध धारा **33** स्टाम्प अधिनियम की कार्रवाई तत्काल योजित कर दी जाएगी, एवं सम्बन्धित कार्मिक पर भी उक्त अधिनियम की धारा **64(c)** की कार्रवाई की जा सकती है एवं विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जा सकती है।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2-महालेखाकार,लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद।
4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
6-प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7-स्टॉफ ऑफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8-प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9-विशेष कार्याधिकारी, कृषि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10-प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
11-प्रबंध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.ए. कानपुर।
12-प्रबंध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
13-औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अधिकारी।
14-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्टयूपी, लखनऊ।
15-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोयडा/ग्रेटर नोयडा/गीडा/ बीडा/सीडा/लीडा।
16-समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश सहित कि शासनादेश व अधिसूचनाओं को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करायें।
17-गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।